भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 491

01 दिसंबर, 2021

"खाद्य तेल संबंधी आंकड़े"

491. डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री एंटो एन्टोनी:
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में देश में खाद्य तेल और दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत कितनी रही;

(ख) क्या दालों, खाद्य तेलों और ऐसी अन्य वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर के कारण कीमतों में वृद्धि हुई है तथा इन वस्तुओं के आयात पर निर्भरता और बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त वस्तुओं के उत्पादन, मांग, आयात और कीमतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इनकी घरेलू उपलब्धता में सुधार लाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ड.) क्या सरकार का उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर उक्त वस्तुओं की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विदेशों से आयात में कटौती करने और दालों तथा खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में खाद्य तेल और दलहन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत का विवरण नीचे दिया गया है:

.....2/-

वर्ष	प्रति व्यक्ति उपभोग/उपलब्धता (कि.ग्रा./वर्ष) खाद्य तेल	प्रति व्यक्ति उपभोग/उपलब्धता (कि.ग्रा./वर्ष) दलहन
2018-19	21.6	17.29
2019-20	19.8	18.31
2020-21	19.7	20.12
2021-22	-	-

(ख): खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने में असमर्थ है। खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर लगभग 56% है और यह आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। घरेलू तिलहन उत्पादन 2010-11 से रुद्ध है। चूंकि तिलहन की खेती सीमांत भूमि पर की जाती है और ये मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होते हैं, अत: पिछले कुछ वर्षों से तिलहन का उत्पादन रुद्ध है। हालांकि, जनसंख्या में वृद्धि और लोगों के जीवन-स्तर में सुधार के कारण खाद्य तेलों की घरेलू मांग उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है अर्थात 10 लाख टन प्रतिवर्ष, अत: घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

सरकार ने पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखते हुए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं।

कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी हस्क्षेप सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के अंतर्गत दलहन और प्याज के बफर स्टॉक बनाए रखती है। इन स्टॉक का इस्तेमाल बाजार को नियंत्रित रखने, सट्टा/जमाखोरी की गतिविधियों को रोकने तथा विनियमित रिलीज हेतु उनकी कीमतों को कम करने के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने जुलाई, 2021 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कुछ दलहन पर स्टॉक सीमा लगाई थी, जो 31 अक्तूबर, 2021 में समाप्त हो गई, जिसका कीमतों की गिरावट के संदर्भ में लाभकारी प्रभाव पड़ा।

(ग): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य तेलों और दलहन के उत्पादन, मांग, आयात और मूल्यों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ): घरेलू उपलब्धता में सुधार करने और मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार आम जनता पर मूल्य के बोझ को कम करने के लिए 2021-22 के दौरान खाद्य तेलों की शुल्क संरचना को युक्तिसंगत

बना रही है। दिनांक 14.10.2021 की नवीनतम अधिसूचना में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- पिछले एक वर्ष से खाना बनाने के तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास में केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
- इन तेलों पर कृषि उपकर घटाकर कच्चे पाम तेल के लिए 20% से 7.5% और कच्चे सोयाबीन तेल तथा कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5% कर दिया गया है।
- उपर्युक्त कटौती के बाद कच्चे पाम तेल के लिए कुल शुल्क 7.5% और कच्चे सोयाबीन एवं कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5% है।
- आरबीडी पामोलीन, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को वर्तमान 32.5%.से घटाकर 17.5% कर दिया गया है।
- कटौती से पहले सभी कच्चे तेलों पर कृषि मूलभूत संरचना उपकर 20% था। इसे घटाकर कच्चे पाम तेल के लिए 7.5%, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल, प्रत्येक के लिए 5% किया गया है।
- खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एनसीडीईएक्स पर सरसों के तेल के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी गई है और स्टॉक सीमाएं लागू कर दी गई हैं।
- सरकार गौण खाद्य तेलों, विशेषत: राइस ब्रान तेल के उत्पादन में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है ताकि आयात पर निर्भरता कम की जा सके।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए खाद्य तेलों और तिलहन पर स्टॉक सीमाएं लागू कर दी हैं। विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं और संचलन प्रतिबंध हटाने संबंधी विशिष्ट खाद्य पदार्थ (संशोधन) आदेश, 2021 दिनांक 08 अक्तूबर, 2021 को जारी किया गया है।

दलहन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने संबंधी सक्रिय उपायों को जारी रखते हुए आयात नीति में भी बदलाव किए गए थे। तूर, उड़द और मूंग को 15 मई, 2021 से 31 अक्तूबर, 2021 की अवधि के दौरान प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर मुक्त श्रेणी में डाल दिया गया था। तूर और उड़द के लिए नि:शुल्क आयात की समयावधि को पुन: 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। उपभोक्ता पर आयातित मसूर की कीमतों का भार कम करने के लिए मसूर के आयात पर मूल शुल्क को शून्य कर दिया गया एवं कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को 10% घटा दिया गया है।

इसके अलावा, म्यांमार के साथ 2.5 लाख टन उड़द और 1 लाख टन तूर के वार्षिक आयात के लिए तथा मलावी के साथ 0.50 लाख टन तूर के वार्षिक आयात के लिए पाँच वर्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही, 2 लाख टन तूर के वार्षिक आयात के लिए मोजांबिक के साथ समझौता ज्ञापन को और पॉच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

.....4/-

(ङ.): वर्तमान में, केंद्रीय सरकार के पास उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर उपर्युक्त वस्तुओं की आपूर्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): भारत सरकार वनस्पति तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और देश में तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि एवं तेल पाम तथा वृक्षजनित तिलहन के क्षेत्र में विस्तार करते हुए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन और तेल पाम (एनएफएसएम-ओएसएंडओपी) 2018-19 से कार्यान्वित कर रही है।

अब सरकार ने तेल पाम के लिए एक अलग मिशन लॉन्च किया है, जो खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन-एनएमईओ (ओपी) है जिससे उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए खाद्य तेलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु पाम की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। एनएमईओ (ओपी) को 2021-22 से 2025-26 तक के दौरान अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित करके लॉन्च किया गया है।

दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार समुचित न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) की घोषणा करती है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) जैसी स्कीमें दलहन के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यान्वित भी करती है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 01.12.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 491 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में विवरण

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य तेलों के उत्पादन, मांग, आयात और मूल्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

तेल वर्ष (नवं-अक्तू)	तिलहन की खेती के अधीन क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	तिलहन का उत्पादन* (एलएमटी)	खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता (एलएमटी)	खाद्य तेलों के आयात** (एलएमटी)	कुल उपलब्धता/ खपत (एलएमटी)	आयात में भागीदारी का %
2017-18	245.0	315	103.8	145.9	249.7	58.4
2018-19	247.9	315	103.5	155.7	259.2	60
2019-20	263.1	332	106.5	134.1	240.71	55.7
2020-21##	288.2	361	111.6	134.5	240.12	56.02

* कृषि मंत्रालय,

** वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (वाणिज्य मंत्रालय),

चौथे अग्रिम अनुमान के आधार पर (11.08.2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा घोषित)

खाद्य तेलों की कीमतें

खाद्य तेलों के औसत खुदरा मूल्य (रु/कि.ग्रा.)			
तेल का नाम	2018-19 (नवं-अक्तू)	2019-20 (नवं-अक्तू)	2020-(नवं-अक्तू)
मूंगफली का तेल	128	144	171
सरसों का तेल	109	120	159
वनस्पति	80	89	123
सोयाबीन तेल	92	100	138
सूरजमुखी का तेल	99	110	156
पाम तेल	76	89	122

स्रोत- उपभोक्ता मामले विभाग

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दलहन के उत्पादन, मांग, आयात और मूल्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	दलहन का कुल उत्पादन (एलएमटी)	आयात (एलएमटी)	निर्यात (एलएमटी)	उपलब्धता/मांग (उत्पादन + आयात -निर्यात) (एलएमटी)
2018-19	220.8	15.40	2.72	233.48
2019-20	230.3	20.56	1.87	249.00
2020-21	257.2	22.70	2.23	277.67
2021-22	94.5*	15.11**	2.27^	-

* पहले अग्रिम अनुमानों (केवल खरीफ) के अनुसार ** 14.11.2021 तक के आयात ^ 14.11.2021 तक के निर्यात

स्रोत: कृषि कल्याण एवं सहकारिता विभाग तथा वाणिज्य विभाग

दलहन का औसत खुदरा मूल्य (रु/कि.ग्रा.)			
दलहन	2018-19 (अप्रैल से मार्च)	2019-20 (अप्रैल से मार्च)	2020-21 (अप्रैल से मार्च)
चना दाल	65.11	65.92	70.42
तूर दाल	71.17	84.90	99.57
उड़द दाल	70.23	83.77	104.49
मूंग दाल	74.03	86.27	106.01
मसूर दाल	61.33	64.12	78.04

स्रोत- उपभोक्ता मामले विभाग